कौशल किशोर भा.प्र.से.,
अपर सचिव
Kaushal Kishore, I.A.S
Additional Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
विकास भवन, पटना 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
HEALTH DEPARTMENT
VIKASH BHAWAN, PATNA 800 015
(0612) 2215334 Mob : 9470003040
E-mail : js.health@bihar.gov.in

पत्रांक 131/(अ.स.स्वा.) दिनांक 19.09.19

प्रिय डा. कुमार

विगत कई मासिक बैठकों में प्रधान सचिव महोदय द्वारा दिये गये निदेश जिनकी कार्यवाही आप सभी को प्रेषित है के माध्यम से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुचारू संचालन हेतु कई निदेश दिये गये थे जिसमें प्रमुख हैं–

1. सभी मानव बल की मानव संपदा सॉफ्टवेयर में प्रवृष्टि।
2. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों का Gem Portal पर निबंधन एवं कार्यान्वयन शुरू करना।
3. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में विधिवत् प्रकार से रेडिएशन सेफ्टी के प्रावधानों का अनुपालन।
4. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में साफ–सफाई, ड्रेस कोड, पठन–पाठन, रद्दी करण योग्य सामाग्री के निस्तारण एवं इन्ट्री सिस्टम का लागू किया जाना।
5. सभी विभागों में पी0जी0 एवं यू0जी0 सीट के वृद्धि हेतु गैप एनालाईसिस कर प्रस्ताव भेजना।
6. नियमित तौर पर महाविद्यालय के वेबसाईट को अद्यतन करना।
7. विधिवत् तरीके से बायोमेडिकल कचरा का निस्तारण करना।
8. एम0सी0आई0 के अनुरूप विभागों में यूनिट का गठन।
9. सभी फैकल्टी, रेजिडेन्ट आदि की बायोमेट्रिक उपस्थिति।
10. सभी विभागों में एम0सी0आई0 की आवश्यकता एवं मरीज हित में आवश्यक उपकरणों की सूची (संख्या एवं विशिष्टताओं सहित)।
11. वर्ग 3 एवं 4 की नियुक्ति हेतु रोस्टर गठन का प्रस्ताव, रोस्टर पंजी एवं चेक स्लिप के साथ विभाग को समर्पित करना।

उपरोक्त सूची के अतिरिक्त भी समय–समय पर कई निदेश दिये गये हैं जिसका पूर्णतया अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया। कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुये इन सभी बिन्दुओं पर सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करने की कृपा करें। इन बिन्दुओं के कार्यान्वयन से सरकार एवं महाविद्यालय तथा राज्य की चिकित्सा व्यवस्था की छवि सुदृढ़ होगी।

शुभेच्छु।

सेवा में,
डॉ0 विकास कुमार
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

Kaushal 19/9/19
(कौशल किशोर)

ज्ञापांकः– 1910/19 दिनांकः– 21/9/19

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आपसे संबंधित जो भी कंडिका है, उसका अक्षरशः ससमय अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए ।

2. सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के कंडिका – 9 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आप स्वयं सहित अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बायोमेट्रीक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए । किसी पदाधिकारी द्वारा बायोमेट्रीक उपस्थिति दर्ज नही करने की स्थिति के लिए आप जिम्मेवार माने जायेंगे ।

3. सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के कंडिका – 4 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आप स्वयं सहित अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ड्रेस कोड का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए । निरीक्षण के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नही करने वाले कर्मियों का वेतन अवरूद्व किया जा सकता है । साथ ही अपने विभाग में समुचित साफ – सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए । रद्दीकरण सामानों के निस्तारण हेतु कृत कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें ।

4. सभी विभागाध्यक्ष (क्लीनिकल), श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के कंडिका – 8 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आप अपने – अपने विभाग में एम0सी0आई0 के अनुरूप में यूनिट का गठन करना चाहेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ।

5. विभागाध्यक्ष, पैथोलौजी/माईक्रोबायोलौजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के कंडिका – 7 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आप अपने विभाग में बायोमेडिकल कचडे. का विधिवत निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए ।

6. श्री अलख कुमार शाही, हॉटीकल्चर सुपरवाईजर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को उक्त पत्र के कंडिका –11 के आलोक में निदेश दिया जाता है कि आप तृतीय एवं चतुथवर्ग कर्मियों का रोस्टर संबंधी प्रस्ताव तैयार कर रोस्टर पंजी एवं चेक स्लिप के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

21/9/19

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपूर